Website:- www.dipronline.org
email:- projjn@rediffmail.com,

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय,झुंझुनू

अतिवृष्टि एवं बाढ़ से बचाव के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें

- गुप्ता

झुंझुनू, 7 जूनः जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने अधिकारियों से कहा है कि वे अतिवृष्टि व बाढ़ की संभावना को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने क्षेत्र में इनसे बचाव के लिए एहतियाती कदम उठाएं और बचाव के दौरान काम में आने वाली सामग्री एवं सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित रखें ताकि किसी तरह की जान-माल की हानि को समय रहते बचाया जा सके। वे सोमवार को यहां कलेक्ट्रेट सभा भवन में संभावित अतिवृष्टि एवं बाढ़ से पूर्व आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने संबंधी बैठक में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि हमें पहले से ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में निचाई में बसी बस्तियों को चिन्हित करते हुए वहां पानी निकासी और अतिवृष्टि के दौरान वहां के लोगों को ठहराने वाले स्थानों को चिन्हिकरण करना होगा। हमें अतिवृष्टि के दौरान काम में आने वाली सामग्री पम्प सैट, मड पम्प, पाइप, रस्सें, गेंती, फावड़े, गोताखोर, छाते, पेट्रोमैक्स, टायर, ट्यूब व खाद्य सामग्री तथा पेट्रोल व डीजल की सभी व्यवस्थाएं सजग और सतर्क रहकर सुनिश्चित करनी होंगी। अतिवृष्टि के दौरान मौसमी बीमारियों और पशुओं में फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए भी सतत् निगरानी रखते हुए दवा आदि की उपलब्धता बनाए रखनी होगी। नगरीय क्षेत्रों में नाले व नालियों की सफाई को आवश्यक रूप से करवाना होगा।

जिला कलेक्टर ने सभी ग्रामसेवकों व पटवारियों को ड्यूटी मुख्यालय पर रहने के लिए पाबन्द करते हुए उन्हें हर घटना की सूचना प्रशासन को देने के लिए निर्देशित किया है। जहां पम्प सैट व मड पम्प की उपलब्ध नहीं है, उन्हें किराए पर लेने की व्यवस्था पहले से की जानी चाहिए। अतिवृष्टि के दौरान केरोसीन, डीजल व पेट्रोल को आरक्षित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। चिकित्सा विभाग द्वारा घर-घर पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की गोलियां वितरित करवानी चाहिए और जलदाव विभाग को पानी के लीकेज को तुरन्त ठीक करना चाहिए ताकि दूषित पानी से बीमारियां नहीं फैल सकें। उन्होंने विद्युत निगम के अधिकारियों को ढीले तारों को कसने और कहीं भी विद्युत तार टूटने पर वहां की

विद्युत आपूर्ति कट करने, सभी कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष स्थापित करने, नियंत्रण कक्ष में जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों को लगाकर समय-समय पर सूचनाओं को अपडेट करके भिजवाने, खाली कट्टों को मिट्टी से भरकर सुरक्षित रखने के निर्देश सम्बन्धित को दिए हैं। उन्होंने तहसील मुख्यालयों पर नियंत्रण कक्ष चालू रखते हुए सभी पटवारियों को अपने-अपने मोबाइल फोन चालू रखने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने सभी उपखण्ड अधिकारियों व तहसीलदारों तथा नगरपालिका के अधिशासी अधिकारियों से उनके द्वारा की गई व्यवस्थाओं एवं अतिवृष्टि के दौरान प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की। संबंधित अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र के नीचले इलाकों की जानकारी से अवगत कराते हुए अतिवृष्टि के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में भी प्रकाश डाला।

कृषि विभाग के उप निदेशक राजेश कुमार नैनावत ने बताया कि आगामी 11 जून से 20 जून तक जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से लघु व सीमान्त किसानों को राजस्थान बीज निगम की ओर से प्राप्त डेढ़ किलो बाजरे के मिनी किट वितरित किए जाएंगे। बैठक में अपर कलेक्टर के.एल. मीणा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.एम. काला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिहारीलाल वर्मा, जिले के सभी उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं नगरपालिकाओं के अधिशासी अधिकारी उपस्थित थे।

मौसमी एवं जल जनित बीमारियों पर निगरानी रखें - गुप्ता

झुंझुनू, 7 जून: जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को बिजली, पानी एवं मौसमी बीमारियों तथा जलदोहन प्रतिबन्धित क्षेत्र में जल दोहन संरचनाओं के निर्माण की स्वीकृति संबंधी बैठकों का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने जिले में वर्षा की शुरूआत होने के कारण अधिकारियों से कहा है कि मौसमी बीमारियों पर विशेष निगरानी रखें और दवाओं की उपलब्धता बनाएं रखें। विद्युत निगम के अधिकारियों को चाहिए कि वे बकाया घरेलू व कृषि विद्युत कनेक्शन जल्द से जल्द करें। पेयजल आपूर्ति पर सतत् निगरानी रखें और जहां अभी भी टैंकरों के जरिए पेयजल आपूर्ति की आवश्यकता है उसे पहले की भांति चालू रखा जाए। उन्होंने स्वजल धारा योजना, मतदाता सूची के प्रकाशन व जनगणना कार्य की जानकारी भी संबंधित से प्राप्त की।

उन्होंने जिले के जलदोहन प्रतिबन्धित क्षेत्र चिड़ावा, बुहाना एवं सूरजगढ़ में जल दोहन संरचनाओं के निर्माण की स्वीकृति देने व भू-जल विकास नियमितिकरण के संबंध में जिला स्तरीय भू-जल संरक्षण सलाहकार समिति की बैठक में संबंधित उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से विस्तारपूर्वक विचार विमर्श के बाद जहां आवश्यकता थी वहां कुओं व नलकूप को गहरा करने की अनुमति देने

का निर्णय लिया गया। उन्होंने जलदोहन प्रतिबन्धित क्षेत्र के ही नहीं बल्कि जिले वासियों से कहा है कि सभी लोग अपने-अपने घरों में वर्षा के पानी को संरक्षित करने के लिए टांके अवश्य बनवाएं ताकि आने वाले समय में पीने के पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। बैठक में अपर कलेक्टर के.एल. मीणा, उपखण्ड अधिकारी नारायण सिंह शेषमा, डॉ. भागचन्द बधाल, भू-जल विभाग के वैज्ञानिक डॉ. एस.के. गुप्ता व भू-जल विभाग के सहायक अभियन्ता कुम्भाराम सहित समग्र विकास संस्थान के सचिव निरंजन सिंह आदि ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

ऊर्जा मंत्री आज खेतड़ी आएंगे

झुंझुनू, 7 जून: ऊर्जा, उच्च शिक्षा तथा सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर खेतड़ी आएंगे। ऊर्जा मंत्री के विशिष्ट सहायक से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऊर्जा मंत्री सोमवार की शाम नीमकाथाना पहुंचने के बाद रात्रि विश्राम वहीं करेंगे और मंगलवार (8 जून) को खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद वे नीमकाथाना में ही रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन (9 जून) को प्रातः 7.30 बजे नीमकाथाना से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

उपभोक्ताओं को चावल व केरोसीन तेल भी दिया जाएगा

झुंझुनू, 7 जून: रसद विभाग द्वारा उचित मूल्य की दुकानों पर सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को अब 5 किलो चावल व 5 लीटर केरोसीन तेल भी उपलब्ध कराया जाएगा। जिला रसद अधिकारी जिले सिंह ने बताया कि जिले के अंत्योदय, बी.पी.एल. व ए.पी.एल. परिवारों को 500 मै. टन चावल का आंवटन हुआ है, जिसका उप आवंटन थोक विक्रेताओं को करके 13 जून तक खाद्य निगम से चावल का उठाव करने के बाद खुदरा विक्रेताओं को सवा किलो प्रति कार्ड से पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने बताया कि चावल का वितरण सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को पांच किलो प्रति कार्ड से 13 रूपये प्रति किलो की दर से प्रति माह किया जाएगा। इसके लिए 47632 राशन कार्ड धारियों को चावल वितरण करने के लिए जिले की सभी क्रय विक्रय सहकारी समितियों व अन्य संस्थाओं को क्षेत्रवार उप आवंटन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जून माह से ही सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को 5 लीटर केरोसीन तेल प्रति राशन कार्ड वितरित किया जाएगा। केरोसीन तेल राशन कार्ड में अंकित सदस्य को ही दिया जाएगा। उपभोक्ताओं से कहा गया है कि वे अपनी राशन सामग्री प्रत्येक माह में 15 से 21 तारीख के बीच उचित मूल्य के दुकानदार से आवश्यक रूप से प्राप्त करें।